

कार्यालय - वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चतरा

वन भवन, स्थान+पो0+जिला - चतरा, झारखण्ड - 825401
Telefax - 06541-223690, Email - cfchatra@gmail.com

पत्रांक - 486 दिनांक - 23/02/17

प्रेषक,

के0 के0 त्रिपाठी, भा0व0से0
वन संरक्षक,
प्रादेशिक अंचल चतरा।

सेवा में,

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक,
हजारीबाग।

विषय-

वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत टोरी-शिवपुर न्यु0 बी0जी0 सिंगल रेलवे लाईन निर्माण हेतु अवशेष 19.85 (15.89 हे0 लातेहार वन प्रमण्डल अंतर्गत एवं 3.96 हे0 चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल अंतर्गत) वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग--

प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची का पत्रांक 130 दिनांक 17.02.2017

महाशय,

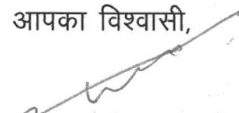
उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में सूचित करना है कि विषयक रेलवे निर्माण हेतु प्रस्ताव पर वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा छः बिन्दुओं पर पृच्छा की गई थी, जिसमें बिन्दु संख्या 2, 3, 5 एवं 6 चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल से संबंधित है, जिसके आलोक में वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल ने अपने पत्रांक 535 दिनांक 18.02.2017 द्वारा बिन्दुवार अनुपालन प्रतिवेदन इस कार्यालय में समर्पित किया है, जो निम्नवत् है :-

2. वृक्षों की गणना सूची सात प्रतियों में संलग्न।
3. प्रस्तावित क्षतिपूरक वनरोपण भूमि का Geo-reference Map सात प्रतियों में संलग्न।
5. विषयक रेलवे लाईन निर्माण में बिना अनुमति के गैरमजरूआ जंगल झाड़ी में किये गये कार्य को पार्ट-II में अंकित करते हुए संशोधित (Rectified) सात प्रतियों में संलग्न।
6. टोरी-शिवपुर रेलवे लाईन निर्माण हेतु 197.933 हे0 वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव जो भारत सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है। उस रेलवे लाईन का Geo-reference Map in shape file उपलब्ध कराने हेतु प्रयोक्ता संस्थान द्वारा 15 दिनों का समय लिया गया है। प्राप्त होते ही अलग से भेज दी जायेगी।

अतः वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल द्वारा समर्पित चार बिन्दुओं का अनुपालन प्रतिवेदन इस पत्र के साथ संलग्न कर अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है।

अनु0-यथोक्त।

आपका विश्वासी,


वन संरक्षक,
प्रादेशिक अंचल, चतरा।



कार्यालय - वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चतरा

वन भवन, स्थान+पो0+जिला - चतरा, झारखण्ड - 825401

Telefax - 06541-223690, Email - cfchatra@gmail.com

सेवा में,

पत्रांक -

दिनांक -

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक,
हजारीबाग।

विषय-

वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत टोरी-शिवपुर न्यु0 बी0जी0 सिंगल रेलवे लाईन निर्माण हेतु अवशेष 19.85 (15.89 हे0 लातेहार वन प्रमण्डल अंतर्गत एवं 3.96 हे0 चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल अंतर्गत) वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग-

इस कार्यालय का पत्रांक 486 दिनांक 23.02.2017

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में सूचित करना है कि विषयक रेलवे निर्माण हेतु प्रस्ताव पर वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा छः बिन्दुओं पर पृच्छा की गई थी, जिसमें बिन्दु संख्या 2, 3, 5 एवं 6 चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल से संबंधित है, जिसके आलोक में प्रासंगिक पत्र द्वारा बिन्दु संख्या 2, 3, एवं 5 का अनुपालन प्रतिवेदन भेजा जा चुका है।

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल ने अपने पत्रांक 2245 दिनांक 15.06.2017 द्वारा बिन्दु संख्या 06 से संबंधित अनुपालन प्रतिवेदन इस कार्यालय में समर्पित किया है, जो निम्न है :-

बिन्दु संख्या 06 :- टोरी-शिवपुर रेलवे लाईन निर्माण हेतु 197.933 हे0 वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव जो भारत सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है। उस रेलवे लाईन का Geo-reference Map in shape file संलग्न।

अतः वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल द्वारा समर्पित बिन्दु संख्या 06 से संबंधित अनुपालन प्रतिवेदन सात प्रतियों में इस पत्र के साथ संलग्न कर अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है। उल्लेखनीय है कि वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से सॉफ्ट कॉपी के रूप में सी0डी0 की माँग की जा रही है जो प्राप्त होते ही भेज दी जायेगी।

अनु0-यथोक्त।

आपका विश्वासी,

ह0/-

वन संरक्षक,

प्रादेशिक अंचल, चतरा।

ज्ञापांक- 1590

दिनांक- 17/06/17

प्रतिलिपि - वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल को उनके पत्रांक 2245 दिनांक 15.06.2017 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि प्रयोक्ता अभिकरण से सॉफ्ट कॉपी (सी0डी0) अविलम्ब प्राप्त कर इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

वन संरक्षक,

प्रादेशिक अंचल, चतरा।



कार्यालय - वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चतरा

वन भवन, स्थान+पो0+जिला - चतरा, झारखण्ड - 825401

Telefax - 06541-223690, Email - cfchatra@gmail.com

झारखण्ड सरकार

सेवा में,

पत्रांक - 1677 दिनांक - 29/6/17

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक,
हजारीबाग।

विषय-

वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत टोरी-शिवपुर न्यु0 बी0जी0 सिंगल रेलवे लाईन निर्माण हेतु अवशेष 19.85 (15.89 हे0 लातेहार वन प्रमण्डल अंतर्गत एवं 3.96 हे0 चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल अंतर्गत) वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग-

इस कार्यालय का पत्रांक 1590 दिनांक 17.06.2017

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में सूचित करना है कि विषयक रेलवे निर्माण हेतु प्रस्ताव पर वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा छः बिन्दुओं पर पृच्छा की गई थी, जिसमें बिन्दु संख्या 2, 3, 5 एवं 6 चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल से संबंधित है, जिसके आलोक में प्रासंगिक पत्र द्वारा बिन्दु संख्या 2, 3, 5, एवं 6 का अनुपालन प्रतिवेदन भेजा जा चुका है, परन्तु प्रयोक्ता अभिकरण से Geo-reference Map in shape file का सी0डी0 प्राप्त नहीं रहने के कारण पूर्व में नहीं भेजा जा सका था।

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल ने अपने पत्रांक 2418 दिनांक 24.06.2017 द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त Geo-reference Map in shape file का सी0डी0 इस कार्यालय में समर्पित किया है।

अतः वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल द्वारा समर्पित Geo-reference Map in shape file का सी0डी0 सात प्रतियों में इस पत्र के साथ संलग्न कर अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है।

अनु0-यथोक्त।

आपका विश्वासी,

वन संरक्षक,
प्रादेशिक अंचल, चतरा।